क्रम-संख्या--594

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 सितम्बर, 1983

आश्विन 1, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2709/सत्रह-वि-1-1(क)-16-1983

लखनऊ, 23 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 19 3]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 9 मई, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 में, उपधारा (3) में, खंड (बी) में, मद 1 और 2 के सामने तालिका में आये हुए अंक और शब्द "2 रुपये प्रति लीटर अल्कोहल" के स्थान पर अंक और शब्द "5 रुपये प्रति लीटर अल्कोहल" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2709(2)/XVII-V—1-1(Ka)-16-1983

Dated Lucknow, September 23, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abakari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983:

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. Act No. 23 of 1983]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 9, 1983.

Amendment of section 28 of U.P. Act no. IV of 1910.

2. In section 28 of the U. P. Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (3), in clause (*b*), *for* the figures and words "2 per litre of alcohol" occurring against items 1 and 2 in the table, the figure and words "5 per litre of alcohol" shall be *substituted.*

Repeal and saving.

3. (1) The Uttar Pradesh Excise (Amendment) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 237 सा० (विधा०)—(2311)–1983–700 (मेक०)।